

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 115 (स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 22.01.2016, द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-06-भूकम्प, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष-0002-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान मद के अन्तर्गत वित्त विभाग के ज्ञापांक ब-17/आपदा-बी०सी०एफ०-67/2015/06सी०एफ० दिनांक 15.05.15 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 1814/आ०प्र० दिनांक 18.05.15 बिहार आकस्मिता निधि से स्वीकृत अग्रिम की राशि से विकलीन होगा। भूकम्प से हुये घायल व्यक्तियों को सहायतार्थ विपत्र कोड- N2245061010002 मद में 25,800.00 (पचीस हजार आठ सौ) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में संबंधित कोषागार से निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। (मांग संख्या-39) (लघु शीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत उपशीर्ष- 0002-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान।

यूनिट कोड- 31 05 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा

(रूप्ये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
01	अंचल अधिकारी, पटना सदर।	00.00	25800.00	25800.00
कुल उपावंटित राशि :-		00.00	25800.00	25800.00

- यह आवंटन स्वीकृत अभिलेख सं०- 01/15-16 (शाहीद अंसारी), अभिलेख सं०- 02/15-16 (मधुसूदन शर्मा), 03/15-16 (रंजीत कुमार) एवं अभिलेख सं०- 11/15-16 (श्रीमति ललीता देवी, श्रीमति पूनम देवी एवं श्रीमति मौसमी देवी) भूकम्प से हुये घायल व्यक्तियों को सहायतार्थ भुगतान हेतु राशि उपावंटित किया जा रहा है।
- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-06-भूकम्प, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष-0002- निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान मद के अन्तर्गत वित्त विभाग के ज्ञापांक ब-17/आपदा-बी०सी०एफ०-67/2015/06सी०एफ० दिनांक 15.05.15 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 1814/आ०प्र० दिनांक 18.05.15 बिहार आकस्मिता निधि से स्वीकृत अग्रिम की राशि से विकलीन होगा। भूकम्प से हुये घायल व्यक्तियों को सहायतार्थ विपत्र कोड- N2245061010002 मद में 25,800.00 (पचीस हजार आठ सौ) रूपये की राशि विकलीनीय होगा।
- उपावंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में भूकम्प से हुये घायल व्यक्तियों को सहायतार्थ भुगतान मद में किया जायेगा।
- उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया

गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति/उपयोगिता प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में इस कार्यालय को शीघ्र भेज दिया जाय।

5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(बी०)(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। तैयार किये गये विपत्र/विपत्रों के उपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000-आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष अंकित किया जाए।
7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-06/14-15 85 /आ०प्र०, दिनांक 04.02.2016 .

- प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/ पटना सिटी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

le
3/2

जिला पदाधिकारी,
पटना।

hasbi